नगर पंचायत गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना के अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 4/2011 से 3/2013 तक नगर पंचायत गगरेट के प्रधान एवं सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	पदभार अवधि
1	श्रीमती किरण बाला	1.4.11 से 31.3.2013

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	पदभार अवधि
1	श्री सतीश ठाकुर (कार्यवाहक)	1.4.2010 से 31.03.2013

(ख) नगर पंचायत गगरेट के अवधि 4/11 से 31.03.2013 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

नगर पंचायत के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2013 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाखों में
1	स्वीकृत बजट से अधिक अनाधिकृत व्यय	5.3	15.28
2	दिनांक 31.3.2013 को गृहकर की लम्बित वसूली	6.2 (i)	25.47
3	चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	6.2 (ii)	0.19
4	दुकान किराए की लम्बित वसूली	6.2 (iii)	5.97
5	मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करना	6.3	0.38
6	प्रतिभूति/धरोहर राशि की कम वसूली	6.4	1.62
7	सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अतिरिक्त मदों अनियमित भुगतान	8.1	5.15
8	निर्माण कार्य में आए विचलन (Deviation) का अनियमित भुगतान	8.2	21.77
9	रायल्टी की कटौती न करना	8.3	0.33

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "i" पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के लेखाओं का अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.12.2013 से 13.01.2014 तक गगरेट में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए मास 3/2012, 3/2013 तथा व्यय के लिए मास 3/2012 तथा 7/2012 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत गगरेट के अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क अंकेक्षण शुल्क ₹13200/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 के नाम प्रेषित करने के लिए अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 5/2014 दिनांक 21.01.2014 द्वारा अनुरोध किया गया तथा शुल्क की राशि रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट संख्या 353835 दिनांक 7.2.2014 जो पीएनबी बैंक की शाखा शिमला में देय था भेज दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेंखाओं की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

अवधि 3/2013 तक रोकड़ वही तथा बैंक शेषों में ₹7095/–का अन्तर था जिसका विवरण बैंक समाधान विवरण (BRS) परिशिष्ट (ii) पर संलग्न है।

(क) रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को अन्त शेष "स्वयं स्त्रोत" तथा "सरकारी

		अनुदान"	₹8394996.40
(ख)		बैंक बचत खातो में जमा राशि	₹8402091.40
		अन्तर (क)–(ख)	**₹7095.00**

5 (i) सरकारी अनुदान (Grant in Aid):–

अवधि 4/11 से 3/2013 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत प्राप्त अनुदान की राशि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का विवरण निम्न प्रकार से विभिन्न परिशिष्टों में दिया गया है तथा अनुदानों की वित्तीय स्थिति को परिशिष्ट (iii) पर दर्शाया गया है।

क्र0सं0	अनुदान का विवरण	परिशिष्ट
1	SJSRY	(iv)
2	NSDP	(v)
3	4th F.C.	(vi)
4	13th F.C.	(vii)
5	Relief/Natural Calamity	(viii)
6	R/M	(ix)
7	Under MMGPY	(x)
8	VKVNY	(xi)
9	RGURF	(xii)
10	Hydrolic Tipper	(xiii)
11	SDP	(xiv)
12	Distt. Welfare	(xv)

5.2 अनुदान प्राप्त राशि में से ₹6779194/– का उपयोग न करना:–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की राशियों में से दिनांक 31.03.2013 तक ₹6779194/– का उपयोग नहीं किया गया था। अनुदानों के परिशिष्टों में दर्शाए गए विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकाँश अनुदानों की शेष बची

राशियाँ न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनके उपयोग/व्यय किया गया। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि अनुपयोक्त अनुदानों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी उद्देश्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जाए जिस प्रयोजन हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यपर्ण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

5.3 वर्ष 2011–12 के दौरान ₹1528183.12 स्वीकृत बजट की राशि से अधिक भुगतान करनाः–

नगर पंचायत गगरेट का अवधि 4/2011 से 3/2013 तक का स्वीकृत बजट/कुल (व्यय) निम्नानुसार थाः–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2011–12	8791000	10319183.12	(–) 1528183.12
2012–13	9065000	6997333.72	(+) 2067666.28

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत ने वर्ष 2011–12 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया है, अधिक किए गए व्यय को हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक शहरी विकास विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 आयः–

नगर पंचायत के प्राप्त आय के स्त्रोत प्रमुखतः निम्न प्रकार से है जिसे परिशिष्ट (xvi) पर दर्शाया गया हैः–

(i) Income Tax
(ii) Rent of Shops, Plot/Khokas
(iii) Teh Bazari
(iv) Parking Fees
(v) Electricity cess
(vi) Liquor cess
(vii) Chullah Tax

(viii)	Interest from Banks
(ix)	N.O.C. for water/Electricity connection
(x)	Copying Fees
(xi)	Building Application Fees
(xii)	Mobile Tower Rent/Fee
(xiii)	Car/Taxi Parking
(xiv)	Miscellaneous Tax/Income

6.2 ₹31.64 लाख की लम्बित वसूलियाँः–

नगर पंचायत की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निम्नानुसार दिनाँक 31.3.2013 तक ₹3163971/– की वसूलियाँ लम्बित थीः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	गृह कर	2547318	xvii
2	चूल्हा टैक्स	19225	xviii
3	दुकान व प्लाट/खोखा किराया	597428	xix
	कुल योग	**3163971**	

(i) गृहकर के रूप में दिनाँक 31.3.2013 तक ₹2547318/– की लम्बित वसूलियाँः–

दिनाँक 31.3.2013 तक परिशिष्ट (xvii) के अनुसार गृह कर के रूप में ₹2547318/– विभिन्न करदाताओं से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10 (ए) मे ंपूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनी वांन्छित थी तथा सम्बन्धित करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक थी। लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है जिसके

परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित वसूली हेतु राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

(ii) चूल्हा टैक्स की लम्बित ₹19225/– की वसूली न करनाः–

दिनाँक 31.3.2013 तक चूल्हा टैक्स ₹19225/–की वसूली हेतु राशि शेष थी विस्तृत विवरण परिशिष्ट (xviii) में दिया गया है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाए जाएं।

(iii) दुकान व प्लाट/खोखा के किराए के रूप में दिनांक 31.3.2013 तक ₹597428/– की लम्बित वसूलियाँः–

दुकानों व प्लाटों/खोखा से देय किराए के रूप में परिशिष्ट (xix) के अनुसार ₹597428/– वसूली हेतु शेष थी। किराए की वसूली हेतु सचिव द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। नगर पंचायत द्वारा प्रभावशाली पग न उठाए जाने के कारण दुकानों के किराए की लम्बित राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा लम्बित किराए की वसूली शीध्र की जाए।

6.3 ₹37500/– मोबाईल टावर कम्पनियों के मालिकों से नवीनीकरण शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि शेषः–

भारत संचार निगम लिमिटड गगरेट से प्राप्त शुल्क की वसूली की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त उपक्रम से अवधि 4/08 से 3/2013 तक चैक संख्या 923449 दिनांक 7.10.10 द्वारा ₹25000/– प्राप्त किए गए जिसमें ₹10000/– स्थापना व्यय भी दर्शाए गए थे बतौर अग्रिम 5 वर्षों हेतु नगर पंचायत द्वारा 40% छूट देते हुए उपक्रम का

खाता शेष शून्य दर्शाया गया था। जाँच में पाया गया कि जबकि यह शेष निम्नानुसार ₹23750/– बनता था जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

अवधि 2/05 से 2/10 तक का किराया / 5000/– प्रतिवर्ष की दर से	25000
25% वृद्धि के साथ अवधि 3/10 से 2/13 तक का किराया	18750
स्थापना फीस	10000
योग	**53750**
प्राप्त किराया	5000
7/10 में प्राप्त किराया	25000
शेष (i) वसूली योग्य किराया	23750

इसके अतिरिक्त रिलायंस मोबाईल टावर से निम्न विवरणानुसार माँग तथा नियमानुसार 5 वर्षों उपरान्त 25% वृद्धि भी नहीं गई थी।

वर्ष 2005–06 हेतु माँग जो सम्बन्धित कम्पनी के खाते में दर्ज नहीं थी	5000
नियमानुसार 25% वृद्धि जो 5 वर्षों उपरान्त वार्षिक किराए के उपर की जानी थी	
वर्ष 2010–2011 हेतु	1250
वर्ष 2011–12 हेतु	1250
वर्ष 2012–2013 हेतु (वार्षिक किराया +25 वृद्धि)	6250
कुल योग	**13750**

अतः उक्त कम्पनियों (B.S.N.L.+Releiance operator) से ₹23750+13750=37500 की वसूली शीध्र करके पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या आई0टी0डी0ई0बी0 (आई0टी0) 2005 (विविध) दिनांक 22.8.2006 अनुसार वर्णित अनुदेशों की पालना एवं वाँछित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

6.4 ₹163980/– की प्रतिभूति/धरोहर राशि की कम वसूली करनाः–

अवधि 01.04.2011 से 31.3.2013 तक के चयनित मासों में प्राप्त आय की जाँच करने में पाया गया कि पंचायत द्वारा नवनिर्मित पार्किंग एवं शॉपिंग कम्पलैक्स में दिनांक 24.3.

2012, 27.2.2012, 6.6.2012, 20.3.2013 व 5.1.2013 को दुकानों, हॉल एवं पार्किंग की नीलामी की गई जिसे निम्नानुसार विवरण में दर्शाया गया है। पंचायत द्वारा आंबटितों से प्रतिभूति/धरोहर राशि की ₹163980 की कम वसूली की गई जोकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–एफ(6)1/85 दिनाँक 21.12.2001 के नियम 7 में दिए प्रावधान अनुसार ₹10000/– प्रति आंबटित (Allottee) की जानी वाँन्छित थी। अतः ₹163980/– कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित आंबटी दुकानदार से करके तुरन्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दुकान सं0	**दुकानदार का नाम**	**निर्धारित किराया**	**प्रतिभूति की वसूली योग्य राशि**	**वसूल की गई राशि**	**कम वसूल की गई राशि**
1	सर्व श्री राजेश कुमार	2200	10000	4400	5600
2	इकबाल ठाकुर	2000	10000	4000	6000
3	शाम ठाकुर	2000	10000	4000	6000
5	सलिल मित्तल	2000	10000	4000	6000
10	राजन पठानिया	1500	10000	3000	700
12	आशीष शर्मा	1600	10000	3200	6800
14	अश्वनी कुमार	1500	10000	3000	7000
15	नरेश कुमार	1200	10000	2400	7600
16	राज कुमार	1200	10000	2400	7600
17	राजेश कुमार	1200	10000	2400	7600
19	कुलदीप कुमार	1200	10000	2400	7600
हॉल	आई0टी0एफ0टी0 प्राईवेंट लिमिटेड	10000	10000	5000	5000
पार्किंग	श्री राजीव गुप्ता	12000	10000	2000	8000
				योग (i)	**87800**

दिनांक 24.3.2012 को की गई नीलामी में दुकान संख्या 4, 6, 7, 8, 9, 11 व 13 तथा दिनांक 27.2.2012 को की गई नीलामी में दुकान संख्या 20, 21, 22, 23 व 24 को दिनांक 5.1.2013, 20.3.13 तथा दिनांक 24.3.12 को आंबटित हुई दुकान संख्या 1 व 3 को भी

उक्त दिनांकों मे ंपुनः नीलाम किया गया जिसे कि पूर्व आंबटितो ंद्वारा छोड़ दिया गया था, से भी निर्धारित दर से कम प्रतिभूति की वसूली की गई विवरण इस प्रकार से हैः—

दुकान सं0	**दुकानदार का नाम**	**निर्धारित किराया**	**प्रतिभूति की वसूली योग्य राशि**	**वसूल की गई राशि**	**कम वसूल की गई राशि**
1	श्रीमती नीना शर्मा	2250	10000	4500	5500
3	सर्व श्री विपिन कुमार	2000	10000	4000	6000
4	राजेश कुमार	2200	10000	4400	5600
6	नरेश कुमार	2000	10000	4000	6000
7	प्रदीप कुमार	2000	10000	4000	6000
8	रोहित कुमार	2050	10000	4100	5900
9	राजीव गुप्ता	4000	10000	8000	2000
17	रवि पाल	1210	10000	2420	7580
18	रोहित जसवाल	1500	10000	3000	7000
21	विनोद कुमार	1000	10000	2000	8000
11/29	धनी राम	850	10000	1700	8300
12/30	धनी राम	850	10000	1700	8300
				योग (ii)	**76180**
		कुल (i)+(ii)		**87800+76180**	**163980**

इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि दुकान संख्या 15, 16, 17, 18, 19 11/29 व 12/30 की नीलामी का नोटिस दिनाँक 21.2.2012 को दिया गया तथा दुकानों की नीलामी दिनाँक 27.02.2012 को की गई परन्तु जारी किया गया नोटिस किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था तथा दुकान संख्या 15 से 19 तक का किराया मात्र ₹1200 प्रतिमाह निर्धारित करते हुए किराए पर दी गई। अतः उक्त अनियमितता के दृष्टिगत यह मात्र इन दुकानदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हेतु किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

6.5 दुकानों के किराए में नियमानुसार बढ़ौतरी न करनाः–

आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–एफ(6)–1/85 दिनांक 21.12.2001 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10**%** की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानों से नियमानुसार अनुबन्ध किए जाने है परन्तु पार्किंग कम्पलैक्स की दुकानों के अतिरिक्त अन्य दुकानदारों से अनुबन्ध निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे।

6.6 शराब कर की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 व 2012–13 के लिए कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोतल की दर से शराब कर की वसूली नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा वर्ष 2011–12 व 2012–13 की अपेक्षित शराब कर की वसूली शीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.7 विद्युत कर की वसूली न करनाः–

एक पैसा प्रति यूनिट की दर विद्युत उपयोग की वसूली विद्युत विभाग से की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अवधि 8/2010 से 31.3.2013 तक के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है, जिसकी वसूली शीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

7.1 स्थापनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट (XX) पर संलग्न है।

7.2 हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पीआर0) पी (7)–1/2009 दिनाँक 26.8. 2009 द्वारा अधिसूचित वेतनमानों को वर्ष 1.1.2006 से अपने कर्मचारियों को स्वीकृत करते हुए

उनका निर्धारण किया गया है। निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उनका वेतन नियमानुसार उचित निर्धारण न करके अधिक निर्धारित किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान ₹70 की उचित स्त्रोत से वसूली शीध्र करके पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

Sr. No.	**Name of Employee**	**Date from date to**	**Pay fixed PB+GP**	**Total**	**Pay to be fixed PB+GP**	**Total**	**Difference**
1	Smt. Sushma Rani Clerk	01.04.11 to 31.10.11	9430+2000	11430	9430+1950	11380	50
2	Sh. Rajeev Kumar J.E.	01.04.11 to 30.06.11	12160+3800	15960	12150+3800	15950	10
		01.07.11 to 31.10.11	12640+3800	16440	12630+3800	16430	10
						कुल	**70**

8.1 निर्माण कार्यः—

अतिरिक्त मदों पर ₹514738/— का अनियमित व्ययः—

निर्माण कार्य C/O Proposed Parking at bus stand for Nagar Panchayat Gagret at Gagret के छठे चलत बिल से लेकर आठवें अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार अतिरिक्त मदों का निष्पादन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए किया गया जबकि न्यू अकाऊटस मैनुअल के नियम 11.6 (4)(iii) के अनुसार किसी भी कार्य में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन से पूर्व निदेशक शहरी विकास की स्वीकृति वाँछित है परन्तु उक्त निर्माण कार्य में ₹514738/— की अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया तथा नियमानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई। यह अनियमित है। अनियमित तरीके से किये गये ₹514738/— के व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	मद सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि (₹)
1	32/1	CC 1:2:4 in chajjas	4.35 m3	11100	48285
2	32/2	Filling in plinth with sand	211.01 m3	400	84404
3	32/3	P/F in position collaprible steel shutters	4.55 m2	2985	13582
4	32/4	P/F Steel glazed Doors/windows	14.84m2	1225	18179
5	32/5	P/F Joint sealing	417.20Rmt	18.50	7718
6	32/6	Applying birla white on walls	1812.75m2	31.50	57102
7	32/7	Finishing wall with water proofing	967.41m2	34	32892
8	32/8	P/F aluminum anodized frame for doors & windows	42.75m2	3000	128250
9	32/9	Stone filling behind R/Wall	137.18m3	700	96026
10	18	P/F single piece aluminum with fall glass cover	5 No.	4900	24500
11	19	S/F fan box made of M.S. shut	76 No.	50	3800
				योग	**514738**

8.2 निर्माण कार्य ₹2177096/– का अनियमित व्ययः–

निर्माण कार्य C/O Proposed parking at Bus stand for nagar panchyat Gagret संविदाकार श्री मनोज कुमार को ₹12311812/– का आबंटन किया गया था परन्तु उक्त कार्य पर आठवें एवं अन्तिम चलत बिल तक कुल ₹14488708/– का कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निष्पादन किया गया। इस प्रकार आठवें चलत बिल तक ₹2177096/– का विचलन (Deviation) ₹12311812–14488708) पाया गया यह अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किये गए व्यय को अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा अवगत करवाया जाए।

8.3 रायल्टी ₹0.33 लाख की कटौती न करनाः–

हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल्ज (कनसैशन) रिवाईज्ड रूल्ज 1971 के नियम 4 की तालिका III में दी गई दरों के अनुसार निर्माण में प्रयोग होने वाले खनिजों पर रायल्टी की वसूली का प्रावधान है। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत गगरेट द्वारा निर्माण कार्यों के लिए संविदाकार से परिशिष्ट (xxi) के अनुसार 1672.66 टन खनिज सामग्री क्रय की गई थी जिन संविदाकारों से यह सामग्री क्रय की गई थी उनके द्वारा जमा करवाई गई रायल्टी के एम0 फार्म अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे और न ही नियमानुसार कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती की गई। अतः तालिका III में दी गई दरों के अनुसार संविदाकारों से क्रय किए गए खनिजों 1672.66 टन के लिए ₹20/– प्रति टन की दर से ₹33453/– की राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवानी सुनिश्चित करें।

8.4 20 सीमेन्ट बैग को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः–

वाउचर संख्या शून्य माह 10/2011 के तहत ₹5390/– का भुगतान मै0 शुभम इन्टरप्राईजिज गगरेट को उनके बिल संख्या 250 दिनांक 12.10.2010 द्वारा 20 बोरी सीमेन्ट 269.50 प्रति बोरी की दर से क्रय हेतु किया गया। जाँच में पाया गया कि क्रय किया गया सीमेन्ट का इन्द्राज न तो मुख्य सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था और न ही किसी निर्माण कार्य में उक्त सीमेन्ट की खपत को दर्शाया गया था। इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 20 बोरी सीमेन्ट के मूल्य ₹5390/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹3030/– विवाह पंजीकरण शुल्क की आय को राजकोष में जमा न करनाः–

नगर पंचायत गगरेट के विवाह पंजीकरण शुल्क की आय की जाँच करने पर पाया गया कि विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 की धारा 4 (i) से (v) के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली तो की गई थी परन्तु उक्त शुल्क की राशि जो ₹3030/– अवधि 7/06 से 7.12.13 तक बनती थी, को विवाह पंजीकरण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था, को अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त भी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट xxi पर दर्शाया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः उक्त राशि को शीध्र नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अभिलेख उपलब्ध न करनाः—

नगर पंचायत द्वारा निम्नानुसार अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया यह अनियमित है। अतः वाँछित अभिलेख अब तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(क) यात्रा भत्ता चैक रजिस्टर

(ख) पैंन्शनल व ग्रेच्यूटी की रोकड़ वही

(ग) चिकित्सा प्रतिपूर्ति रजिस्टर

(घ) ट्रैक्टर मुरम्मत रजिस्टर

(ङ) ई0सी0आर0 (रजिस्टर)

11 विभिन्न न्यायालयों में नगर पंचायत द्वारा अथवा नगर पंचायत पर दायर मामलेः—

नगर पंचायत द्वारा जारी सूचि जो परिशिष्ट (xxii) पर दर्शाई गई है के अनुसार अवधि 3/2013 तक अनेक व्यक्तियों/दुकानदारों अथवा नगर पंचायत द्वारा मामले विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों में दायर है। अतः इन सभी मामलों में अदालती निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिकाः—इसें पृथक से जारी नहीं किया गया।

13 निष्कर्षः— लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) V (69) 81-2012खण्ड—I पार्ट—2209—10 दिनांक,11.4.2014
शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

पंजीकृत

2. सचिव, नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट–"i" **पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में**

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/82 से 3/84

1	पैरा–16	अनिर्णीत

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा–24 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–24 (ii)	अनिर्णीत

3 अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88

1	पैरा–15	अनिर्णीत

4 संयुक्त निदेशक तथा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का 9.12.1993 व 10.12.1993 का नोट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत

5 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/95

1	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (च)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (न)	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत

6 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2004

1	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–14	अनिर्णीत
4	पैरा–24	अनिर्णीत
5	पैरा–26	अनिर्णीत
6	पैरा–29	अनिर्णीत
7	पैरा–35	अनिर्णीत
8	पैरा–36	अनिर्णीत
9	पैरा–38	अनिर्णीत
10	पैरा–41	अनिर्णीत

7 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–3 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (सी) (iv)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (सी) (v)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (सी) (vi)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (सी) (vii)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत

8 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 908920 दिनांक 21.12.2011 द्वारा भिजवा दिया गया)
2	पैरा–4	निर्णीत	
3	पैरा–5.2	अनिर्णीत	

4	पैरा–6.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 6.2 में दर्शा दी गई है)
5	पैरा–6.2	निर्णीत	(–यथोपरि–) (पैरा संख्या 6.3 में दर्शा दी गई है)
6	पैरा–6.3	निर्णीत	(–यथोपरि–) (पैरा संख्या 6.4 में दर्शा दी गई है)
7	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
8	पैरा–6.5	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर अनुसार निर्णीत)
9	पैरा–6.6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 6.7 में दर्शा दी गई है)
10	पैरा–6.7	निर्णीत	(वर्ष 2011–12 तक कराधान विभाग से वसूली कर ली जो कि ₹171605/– थी तथा जी–8 34/79 दिनांक 21.5.13 द्वारा प्राप्त की गई थी)
11	पैरा–6.8	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर अनुसार निर्णीत)
12	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
13	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
14	पैरा–7.3	निर्णीत	(₹1559 की वसूली रसीद संख्या 9/37 दिनांक 30.7.12 व रसीद संख्या 10/37 दिनांक 30.7.12 द्वारा कर ली गई थी)
15	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
16	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
17	पैरा–8	अनिर्णीत	
18	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
19	पैरा–8.2	निर्णीत	(भण्डार पंजिका में पंजिका में प्रविष्टि की पुष्टि पृष्ठ 14 कर ली गई है)
20	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
21	पैरा–8.4	अनिर्णीत	
22	पैरा–8.5	निर्णीत	(मदों की प्रविष्टि की पुष्टि भण्डार पंजिका के

			पृष्ठ 31 पर तथा खपत बारे पुष्टि कर ली गई है)
23	पैरा–8.6	अनिर्णीत	
24	पैरा–8.7	अनिर्णीत	
25	पैरा–8.8	अनिर्णीत	
26	पैरा–8.9	अनिर्णीत	
27	पैरा–8.10	अनिर्णीत	
28	पैरा–9	अनिर्णीत	
29	पैरा–9.1	अनिर्णीत	
30	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
31	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
32	पैरा–10	अनिर्णीत	
33	पैरा–10.1	अनिर्णीत	
34	पैरा–11	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर अनुसार निर्णीत)
35	पैरा–12	अनिर्णीत	
36	पैरा–13	अंशतः निर्णीत	(अंकेक्षण अवधि दौरान लेबर सैस की वसूली की जा रही है जबकि 4.12.08 से 13.10.2011 तक की वसूली लम्बित है)
37	पैरा–14	अनिर्णीत	
38	पैरा–15	अनिर्णीत	
39	पैरा–17	अनिर्णीत	